अधिसूचना संख्या 17/2010 [एफ.सं.203/83/2009 /आईटीए-II], दिनांक 22-3-2010

सर्वसाधारण की जानकारी के लिए एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि पेनसिल्वेनिया विश्वविद्यालय भारतीय उन्नत अध्ययन संस्थान, नई दिल्ली को आयकर अधिनियम, 1961 (उक्त अधिनियम) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (iii) के प्रयोजन के लिए आयकर नियम, 1962 (उक्त नियम) के नियम 5ग और 5 ङ के साथ पठित, कर निर्धारण वर्ष 2009-2010 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुसंधान गतिविधियों में आंशिक रूप से संलग्न 'अन्य संस्थान' की श्रेणी में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, अर्थात्:-

(i) अनुमोदित संगठन को भुगतान की गई राशि का उपयोग सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए किया जाएगा;

(ii) अनुमोदित संगठन अपने संकाय सदस्यों या अपने नामांकित छात्रों के माध्यम से सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान करेगा;

(iii) अनुमोदित संगठन वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए प्राप्त राशियों के संबंध में अलग-अलग लेखा पुस्तकें बनाए रखेगा, उनमें अनुसंधान करने के लिए उपयोग की गई राशियों को दर्शाएगा, उक्त अधिनियम की धारा 288 की उप-धारा (2) के स्पष्टीकरण में परिभाषित लेखाकार द्वारा ऐसी पुस्तकों का लेखा-परीक्षण कराएगा और ऐसे लेखाकार द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित ऐसी लेखा-परीक्षण रिपोर्ट, उक्त अधिनियम की धारा 139 की उप-धारा (1) के अंतर्गत आयकर विवरणी प्रस्तुत करने की नियत तिथि तक, मामले पर अधिकार क्षेत्र रखने वाले आयकर आयुक्त या आयकर निदेशक को प्रस्तुत करेगा;

(iv) अनुमोदित संगठन सामाजिक विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और लागू राशियों का एक अलग विवरण बनाए रखेगा और लेखा परीक्षक द्वारा विधिवत प्रमाणित ऐसे विवरण की एक प्रति ऊपर उल्लिखित लेखा-परीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न होगी।

2. केंद्र सरकार अनुमोदन वापस ले लेगी यदि अनुमोदित संगठन-:

(क) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iii) में निर्दिष्ट अलग-अलग लेखा पुस्तकें रखने में विफल रहता है; या

(ख) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iii) में निर्दिष्ट अपनी लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(ग) अनुच्छेद 1 के उप-अनुच्छेद (iv) में निर्दिष्ट सामाजिक विज्ञान या सांख्यिकीय अनुसंधान में अनुसंधान के लिए प्राप्त दान और लागू राशियों का विवरण प्रस्तुत करने में विफल रहता है; या

(घ) अपनी अनुसंधान गतिविधियों को जारी रखना बंद कर देता है या उसकी अनुसंधान गतिविधियाँ वास्तविक नहीं पाई जाती हैं; या

(ङ) उक्त अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (1) के खंड (iii) के प्रावधानों के अनुरूप और उनका अनुपालन करना बंद कर देता है, जिसे उक्त नियमों के नियम 5ग और 5ङ के साथ पढ़ा जाए।